न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (आर.ए.एस.)

निर्णय दिनांक 18.04.2023

मुकदमा संख्या - 06 / 2022

1. शंकर पुत्र भूराराम उम्र 80 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ढाणी पुठाला तन पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

अपीलान्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज.)
2. छाजूराम दत्तक पुत्र रामलाल जाति गुर्जर निवासी ढाणी पूठाला तन पौंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
3. तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोंडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 10.06.1960

दिनांक 18.04.2023

अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 02 दिनांक 10.06.1960 इस आशय की पेश की है कि अपीलान्ट ढाणी पूठाला तन पौंख का स्थाई निवासी है वहीं मय परिवार आबाद है इसी ग्राम पौंख में उसकी पुश्तैनी जमीन स्थित है। अपीलान्ट एवं रेस्पोडेण्टस एक ही परिवार के व्यक्ति हैं। ग्राम पौंख पटवार हल्का पौंख की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा न. 1702 रकबा 1.87 है0, खसरा न. 1703 रकबा 0.18 है0, खसरा न. 1704 रकबा 0.35 है0, खसरा न. 1705 रकबा 1.96 है0, खसरा न. 1706 रकबा 0. 40 है0, खसरा न. 1707 रकबा 0.69 है0, खसरा न. 1710 रकबा 0.57 है0, खसरा न. 1711 रकबा 0.43 है0, खसरा न. 1713 रकबा 1.49 है0 खसरा न. 1714 रकबा 0.58 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 8.52 है0 अवस्थित है जिसके पुराने खसरा न. 396, 404, 405, 407, 408, 409, 400, 401, 402 है। इसी प्रकार ग्राम पौंख के वर्तमान भूमि खसरा न. 1248, 1255, 1257, 1258 कुल किता 4 कुल रकबा 1.5 है0 है जिसके पुराने खसरा न. 258 है। अपील के पैरा न. 3 में अंकित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पैत्रिक भूमि है जिसमें अपीलान्ट का 1/4 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का भी 1/4 हिस्सा है। इसी के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से को काश्त करते हैं। जब अपीलान्ट के पिता स्वर्गीय श्री भूराराम जी का देहान्त हुआ उस समय विवादग्रस्त भूमि का [illegible] पुत्र क्रमशः रामनाथ, कालूराम, औंकार व शंकर के नाम दर्ज होना चाहिए [illegible] रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दत्तक पिता व अपीलान्ट के भाई स्वर्गीय [illegible] ने राजस्व [illegible] व सरपंच से सांठ-गांठ करके विवादग्रस्त भूमि का अकेले [illegible] दिनांक 10

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

1960 ग्राम पौंख दर्ज करा लिया। इस गलत नामान्तकरण के आधार पर अपीलान्ट के हक व हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने नाम करवाकर उसे अपूर्णीय क्षति कारित की है अतः नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 10.06.1960 खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अतः अपीलमय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 10.06.1960 ग्राम पौंख तहसील उदयपुरवाटी को खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है। अपील अपीलान्ट दर्ज की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का जवाब का अवसर बंद किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 बावजूद तामिल सूचना के व बार- बार आवाज दिलाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अपील श्रवण की गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि उक्त भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की पैत्रिक भूमि है जिसमें अपीलान्ट का 1/4 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का भी 1/4 हिस्सा है। इसी के अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से को काश्त करते हैं लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के दत्तक पिता ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ--गांठ करके अकेले अपने नाम से उक्त भूमि का नामान्तरण संख्या 2 दिनांक 10.06.1960 ग्राम पौंख दर्ज करवा लिया जो नामान्तकरण के नियमों के विरुद्ध है। अतः नामान्तरण संख्या 2 दिनांक 10.06.1960 ग्राम पौंख खारिज फरमाया जावे। बहस में रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने कथन किया कि नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 10.06.1960 ग्राम पौंख नियमों के अनुसार ही भरा गया अतः अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। अपील में वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है जिसका नामान्तकरण समस्त वारिसानों के नाम दर्ज होना था जो नहीं किया गया। उक्त विवेचना से नामान्तरण संख्या 02 दिनांक 10.06.1960 नियमानुसार नहीं होने के कारण अपास्त किया जाना एवं अपील अपीलान्ट की स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तरण संख्या 02 दिनांक 10.06.1960 सरपंच ग्राम पंचायत पौंख को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रकरण को विधिवत सुनकर पुनः नामांतकरण की कार्यवाही करे।

18/4/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 18.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/4/23
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 17:03:00 IST
Reason: SelfAttested